POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 10.07.2025

1. थाना बिसरख पुलिस द्वारा ब्रांडिंग मार्केटिंग तथा फर्जी, कूटरचित ISO सर्टिफिकेट देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 06 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 09 लेपटॉप, 1 टेबलेट(इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस), 08 मोबाइल फोन, फर्जी ISO सर्टिफिकेट व अन्य दस्तावेज बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक **10.07.2025** को **थाना बिसरख** पर मु0अ0सं0 491/2025 धारा 316(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था जिसमें वादी मुकदमा द्वारा बताया कि मैं इंडिको रिटेल प्रा0लि0 कंपनी संचालित करता हूं। मेरी कपनी घी और मुरब्बा बनाती है, जिसके प्रचार व प्रसार हेतु मैने ब्रांडौलाजी मार्केटिंग प्रा0लि0 सेक्टर-63 से संपर्क किया था। इस ब्रांडौलाजी मार्केटिंग प्रा0लि0 का संचालन 1-मयंक तिवारी पुत्र अखिलेश तिवारी उम्र 32 वर्ष 2-विकास शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा उम्र 28 वर्ष 3-केशव पुत्र सजीव कुमार शर्मा उम्र 31 वर्ष 4-प्रदीप कुमार यादव पुत्र नन्दलाल यादव उम्र 30 वर्ष 5-अविनाश गिरी पुत्र हरीशचन्द्र गिरी उम्र 31 वर्ष 6-प्रदीप यादव पुत्र जगदीश यादव उम्र 28 वर्ष अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर करते है। मुझसे मेरी कपनी के उत्पाद मुरब्बा व घी के प्रचार-प्रसार के लिए उपरोक्त लोगो ने मुझे बताया था कि इनकी कंपनी ब्रांडौलाजी मार्केटिंग प्रा0लि0 मेरे उत्पाद की ब्रांडिग व डिजिटल मार्केटिंग करेगी जिससे मेरी कपनी की आय व व्यापार काफी बढ़ जायेगा और मुझे काफी मुनाफा होगा। इन लोगो ने वादा किया था कि यह लोग मेरे उत्पाद को ISO सर्टिफिकेट दिलवायेगें जिससे मेरी कंपनी व उत्पाद की देश में एक शाख बन जायेगी और मेरे उत्पाद की काफी बिक्री होगी। इनकी बातो पर विश्वास करके मैने उनको भिन्न-भिन्न तारीखों पर कुल लगभग 3,28,170 रुपये इनके खातो में ऑनलाइन माध्यम से भेजे गये किंतु इन लोगो ने मेरे कम्पनी व उत्पाद की कोई भी ब्रांडिंग मार्केटिंग नहीं की।

कार्यवाही का विवरण-- घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में पुलिस टीम गठित की गई। जाँच के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा थाना सेक्टर-63 क्षेत्र में डिस्ट्रीबयूटर चैनल (भारत का डिस्ट्रीब्यूटर) नाम से एक कम्पनी बनायी थी, जिसमे वो भिन्न-भिन्न कम्पनी के प्रोडक्ट ओनर को उनके उत्पाद को जल्दी और अधिक मात्रा में बिकवाकर अधिक मुनाफा कमाने का लालच देकर विक्रेताओ व उत्पादक निर्माताओ को प्रलोभित करने हेतु फर्जी डाटा दिखाकर वे अपनी कम्पनी का सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इन्स्टाग्राम व अन्य प्रकार से विज्ञापन करके विक्रेता/उत्पादको को प्रलोभित करते थे। इस सम्बन्ध में

थाना सेक्टर-63 पर पूर्व से मु0अ0सं0 108/2025 धारा 318(4), 316(2) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट पंजीकृत है।

यही अपराधी वर्तमान में सेक्टर-63 स्थित कार्यालय को बन्द कर वर्तमान में एनएक्स वन ग्रेटर नोएडा में अपना कार्यालय दोबारा ब्रांडौलाजी मार्केटिंग प्राईवेट लि0 के नाम से संचालित कर रहे है एवं ग्राहको से पुनः ब्राण्ड मार्केटिंग, कूटरचित दस्तावेज एवं वेबसाइट तैयार कर/धोखाधडी का संगठित अपराध कर रहे है। गठित टीम के द्वारा दिनांक 10.07.2025 को अभियुक्त 1.मयंक तिवारी पुत्र अखिलेश तिवारी 2.विकास शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा 3.प्रदीप कुमार यादव पुत्र नन्दलाल यादव 4.अविनाश गिरी पुत्र हरीशचन्द्र गिरी 5.प्रदीप यादव पुत्र जगदीश यादव 6.केशव पुत्र संजीव कुमार शर्मा को ब्रांडौलाजी मार्केटिंग प्राईवेट लि0 के ऑफिस यूनिट टावर-4, एनएक्स वन एवेन्यू थाना क्षेत्र बिसरख से घटना में प्रयुक्त उपकरण एवं कूटरचित दस्तावेज व अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया गया है।

अपराध का तरीका-- अभियुक्तगण, सोशल मीडिया मैनजमैंट/सोशल मीडिया मार्केटिंग, फ्लिपकार्ट/एमेजोन, लिस्टिंग, वैबसाइट डिजाइनिंग, बार कोड, ISO सर्टिफिकेशन, डोमेन बुंकिग, प्रोडक्ट प्रोमेशन, वीडियों शूट आदि के माध्यम से ग्राहकों को लुभावने ऑफर देकर/विक्रेताओं, उत्पादक ,निर्माताओं को प्रलोभित कर फर्जी डाटा दिखाकर सामान को जल्दी बिकवाने हेतु अधिक मुनाफा दिलाने तथा प्रोडक्ट को आईएसओ सर्टिफाइड करवाने का झांसा देते थे। अभियुक्तगण वेवसाइट पर मौजूद विभिन्न आईएसओ सर्टिफिकेट देने वाली कम्पनियों के प्रोफार्मा को डाउनलोड करके उस पर कूट रचना/एडिटिंग करके मात्र एक दिन में कस्टमर को दस्तावेज उपलब्ध कराते थे तथा उसकी प्रमाणिकता साबित करने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाते थे। जब विक्रेता उनके साथ जुडकर उन्हे निर्धारित धनराशि का भुगतान कर देता था तब वे उनसे सैम्पल के रुप में कुछ सामान मंगाते थे, जिसे वो आपस में बांट लेते थे तथा विक्रेता को बता देते थे कि आपका सामान डिस्ट्रीब्यूटरो को सैम्पल के रुप में भेज दिया गया है। जल्द ही डिस्ट्रीब्यूटर आपको बड़ा आर्डर प्रदान करेंगे। इसके बाद जब उत्पादक उन लोगो को फोन करके डिस्ट्रीब्यूटरो के बारे में पूछता था तो वे उसे बताते थे कि आपका उत्पाद बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है इसलिये इसे बडे-बडे सुपर मार्ट आदि में बिकना चाहिये जिसके लिये आपको मान्यता प्राप्त एजेंसी से सर्टिफाईड होना पडेगा। आमतौर पर उत्पादको के पास इस प्रकार के प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होते है, जिसके लिये अभियुक्तगण विदेशो कि बडी-बडी कंपनियों के नाम बताकर एवं भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था बताकर उनसे उत्पादक की कम्पनी को प्रमाणित करवाने की बात कहकर प्रमाण पत्र के नाम पर और अधिक पैसा वसूल करते थे, जबकि अभियुक्तगण मिलीभगत करके उनके पास पहले से मौजूद ड्राफ्ट व डेमो सर्टिफिकेट कूट रचित करके प्रमाण पत्र अपने ऑफिस पर ही लैपटॉप का इस्तेमाल करके तैयार कर लेते थे। इसके लिये विज्ञापन हेतु और पैसे अधिक पैसे वसूलते थे, जब उत्पादक अभियुक्तगण को पैसे दे देता था तो वे फिर उसे कुछ समय तक टाल-मटोल करते रहते थे। काफी समय बीत जाने पर जब उत्पादक परेशान होकर डिस्ट्रीब्यूटर ना प्रदान किये जाने/दस्तावेजो की गुणवत्ता की शिकायत करता था तथा उनसे अपना पैसा वापस मांगता था तो अभियुक्तगण उसे बताते थे कि आपके उत्पाद की गुणवत्ता बहुत ही खराब स्तर की है इसलिये कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इसे बेचने के लिये तैयार नहीं हो रहा है और आपने जो पैसा हमे दिया था वो विज्ञापनो और उत्पाद के सैम्पलो को भिजवाने

आदि में खर्च हो गया है। इसलिये पैसा वापस नहीं किया जा सकता है। उत्पादक अभियुक्तगण के ऑफिस मे आकर कोई विरोध ना कर सके इसलिये यह गैर राज्यो के उत्पादको को अपना क्लाईंट बनाते थे।

पूछताछ का विवरण--

1- अभियुक्त मयंक तिवारी ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं ब्रांडौलाजी मार्केटिंग प्रा0लि0 का डायरेक्टर हूं। मेरी कंपनी उत्पाद की डिजिटल मार्केटिंग करती है तथा उन्हे आईएसओ सर्टिफिकेट दिलवाने का भी काम करती है। हम लोग इसी लैपटॉप और बरामद आईएसओ सर्टिफेकेट व अन्य कागजातो के माध्यम से कंपनियो से रूपये लेते है।
2- अभियुक्त विकास शर्मा ने पूछने पर बताया कि मैं उपरोक्त कम्पनी में सेल्स एक्जिक्यूटिव के पद पर कार्य करता हूँ तथा बरामद लैपटाप/मोबाइल से सारे सर्टिफिकेट व प्रपत्र तैयार करता हूँ।
3- अभियुक्त प्रदीप कुमार यादव ने पूछने पर पर बताया कि मैं इस कंपनी में करीब 03 साल से मंयक तिवारी के साथ काम कर रहा हूं। हम सब मिलकर ग्राहको को डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर प्रलोभन देकर उनसे उनका उत्पाद को और अधिक मुनाफे पर बेचे जाने का कहकर उनसे रूपये लेते है।
4- अभियुक्त अविनाश गिरी ने पूछने पर बताया कि मैं इस कंपनी में वेबसाइट डैवलैपर्स का काम करता हूं। जहां पर मैं लोगो को प्रलोभन देने के लिए ब्रांडौलाजी मार्केटिंग कंपनी की वेबसाइट पर गलत डाटा दिखाता हूं। जिसे देखकर वो हमे अपने उत्पाद की डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए पैसे देते है।
5- अभियुक्त प्रदीप यादव ने पूछने पर बताया कि मैं इस कंपनी के लिए एडवरटाईजिंग का काम करता हूं ताकि अधिक से अधिक विक्रेता व निर्माता इस कंपनी में अपने प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग कराने के लिए पैसा लगाये।
6- अभियुक्त केशव ने पूछने पर बताया कि मैं पिछले डेढ़ वर्ष से मयंक के साथ कस्टमर रिलेशन मैनेजर के पद पर काम कर रहा हूं मेरा काम अपने साथियो के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज जैसे आईएसओ सर्टिफिकेट बनाना तथा उसकी प्रमाणिकता साबित करने के लिये फर्जी वेबसाईट बनाना है।

अभियुक्तों का विवरण--

1- मयंक तिवारी पुत्र अखिलेश तिवारी मूल निवासी गांव बैकुण्ठपुर, थाना गोपालगंज कोतवाली, जिला गोपालगंज, बिहार वर्तमान पता सीआरसी चाईस, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर उम्र 32 वर्ष।
2- विकास शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा निवासी ग्राम शेरा, थाना वीवीनगर, जनपद बुलंदशहर वर्तमान पता ब्रह्मपुर इन्कलेव, सेक्टर-7, सिद्धर्थ विहार, थाना विजयनगर, गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष।
3- प्रदीप कुमार यादव पुत्र नन्दलाल यादव निवासी गावं जिगना, थाना धीना, जिला चन्दौली वर्तमान पता सेक्टर-70, थाना फेस-3, नोएडा उम्र 30 वर्ष।

4- अविनाश गिरी पुत्र हरीशचन्द्र गिरी मूल निवासी कोटगाँव, नियर शिव मन्दिर, थाना कोतवाली नगर, गायिजाबाद उम्र 31 वर्ष।

5- प्रदीप यादव पुत्र जगदीश यादव निवासी ग्राम धमना, थाना महाराजपुर, जिला कानपुर वर्तमान पता सेक्टर-70, नोएडा उम्र 28 वर्ष।

6- केशव पुत्र संजीव कुमार शर्मा निवासी शाहदरा, थाना शाहदरा, दिल्ली उम्र 31 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

- **मयंक तिवारी--**

1. मु0अ0सं0 108/2025 धारा 318(4), 316(2) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 491/2025 धारा 316(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

- **विकास शर्मा--**

1. मु0अ0सं0 108/2025 धारा 318(4), 316(2) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 491/2025 धारा 316(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

- **प्रदीप कुमार यादव--**

1. मु0अ0सं0 491/2025 धारा 316(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

- **अविनाश गिरी--**

1. मु0अ0सं0 108/2025 धारा 318(4), 316(2) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 491/2025 धारा 316(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

- **प्रदीप यादव--**

1. मु0अ0सं0 108/2025 धारा 318(4), 316(2) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 491/2025 धारा 316(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

- **केशव--**

1. मु0अ0सं0 108/2025 धारा 318(4), 316(2) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 491/2025 धारा 316(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1- 09 लेपटॉप मय चार्जर घटना में प्रयुक्त
2- 08 मोबाइल फोन घटना में प्रयुक्त
3- एक टेबलेट(इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस) घटना में प्रयुक्त
4- लगभग 60 कूट रचित (आईएसओ सर्टिफिकेट व अन्य दस्तावेज)
5- एक स्वेप मशीन

2. थाना जारचा पुलिस द्वारा अवैध गांजा की तस्करी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 05 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **10.07.2025** को **थाना जारचा पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व बीट पुलिसिंग की सहायता से गांजा की तस्करी करने वाला एक अभियुक्त गौरव कुमार पुत्र सतीशचन्द को ग्राम नंगला चमरू के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से बैग में 05 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया गया है।

अभियुक्त का विवरण--

गौरव कुमार पुत्र सतीशचन्द निवासी विकास विहार, सेक्टर-15, ककरौला, थाना द्वारका, नई दिल्ली उम्र करीब 40 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

1- मु0अ0सं0 120/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।
2- मु0अ0सं0 405/22 धारा 20(b)(ii)(c) एनडीपीएस एक्ट थाना आरपीएस सिकंद्राबाद, तेलंगाना।

बरामदगी का विवरण--

05 किलो 200 ग्राम गांजा